

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल-462023

क्रमांक./स्था./यू.सी.आर /2022/1211

भोपाल, दिनांक 24/6/2022

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया था। एक सत्र में दो उपाधि एवं सह विषयों के प्रकरणों के संबंध में संचालनालय से जारी आदेश क्रमांक 777-778 एवं पत्र क्र. 781-782 दिनांक 19.4.2022 के अनुक्रम में परीक्षण किया गया। परीक्षण के आधार पर मेरिट क्रम में प्रवर्ग वार पात्र पाए गए चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर राजनीति विज्ञान विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

2/

SN	NAME AND FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	RAJNEESH DHAKAR Father's Name- GHANSHYAM SINGH	VILLAGE CHAKK BADODA POST GASWANI VIJAYPUR SPK M.P. 476332	74508283	40	OBC	UR/X/OP	DISE-23080200906 GHSS BANDHA	Tikamgarh
2	SHWETA NAGAR Father's Name- OMPRAKASH NAGAR	130 RAJIV NAGAR RATLAM RATLAM RAT M.P. 457001	74552813	211	UR	UR/X/F	DISE-23230213707 GOVT MODEL SCHOOL HSS TONKKHURD	Dewas
3	BRIJENDRA KUMAR SINGH Father's Name- MATUK DHARI SINGH	NA KYOTLAY KYOTLAY CHITRANGI SNG M.P. 486889	74478248	642	EWS	EWS/X/OP	DISE-23500109405 GOVT. HSS SHIVPURWA	Singrauli
4	KANHAIYA LAL SHAKYA Father's Name-RAMJI LAL SHAKYA	410 SANJAY COLONY MAYA BAI MANDIR KE PASS SHIVPURI SHIVPURI SVP M.P. 473551	74589578	757	SC	SC/X/OP	DISE-23310303334 GOVT. HSS BHAL BAMORA	Vidisha
5	RACHNA CHHIROLYA Father's Name- SITARAM CHHIROLYA	146 MADIYADO MADIYADO HATTA DAM M.P. 470775	74647772	777	EWS	GF/UR/X/F	DISE-23120408004 GOVT HSS KANTEE	Damoh
6	RAJESH CHOUDHARY Father's Name- BALMUKUND CHOUDHARY	15 PRATAP NAGAR PANWASA MAXI ROAD UJJAIN M.P. 456010	74636733	810	SC	SC/X/OP	DISE-23230500611 GOVT. HSS KUSMANYA	Dewas
7	RAJNIKANT THAKUR Father's Name- PURUSHOTTAM SINGH	10 NEAR EXCHANGE OFFICE NARSINGHPUR ROAD GOTEGAON NSP M.P. 487118	74451154	1137	ST	ST/X/OP	DISE-23400316608 GOVT. HSS SHRINAGAR	Narsinghpur
8	PANKAJ TIWARI Father's Name- RAMNARAYAN TIWARI	NEAR RAM MANDIR YADAV MOHALLA QASBA SEHORE SEH M.P. 466001	74503428	1239	EWS	EWS/VH/OP	DISE-23310517618 GOVT. HSS SAMSHABAD (BOYS)	Vidisha
9	SANJAY CHANDEL Father's Name- RAMESH PRASAD CHANDEL	NA VILLAGE JIMRA POST SANGRAMPUR SHAHPURA DND M.P. 481990	74584028	1467	SC	SC/X/OP	DISE-23400503107 GOVT. HSS TUMDA	Narsinghpur
10	RAKESH SOLANKI Father's Name-INDAR SINGH SOLANKI	0 VLL.AAMBI POST BADI SARDI KATTHIWADA ALR M.P. 457893	74553140	1880	ST	ST/X/OP	DISE-23290909207 GOVT HSS KHEIGAON	Khandwa

21

SN	NAME AND FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
11	RAVINDRA SINGH PARIHAR Father's Name-MAHESH PAL SINGH PARIHAR	10 HATWARA MOHALLA BAMHOURI KALAN PALERA TKG M.P. 472118	74632499	2714	EWS	GF/EWS/EH /OP	DISE-23080214606 GHS KARMAURA	Tikamgarh
12	RAHUL UIKEY Father's Name-GODHN UIKEY	0 KHAPABHAT CHHINDWARA CHHINDWARA CHD M.P. 480001	74481944	3054	ST	ST/X/OP	DISE-23350900113 GOVT. HSS GIRLS PRABHAT PATTAN	Betul

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 9300-34800 + 3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200-114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर अनिवार्यतः उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.)
- IV. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- V. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
- VI. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति



VIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र

IX. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड

X. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-.....)


7/ संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


(अभ्य. वर्मा)
आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 24/6 /2022

क्रमांक./स्था./यू.सी.आर /2022/1212


प्रतिलिपि:-

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-49/पीएन -02/2022/तीन/481 दिनांक 4.6.2022 से विभाग को अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर पात्र पाए जाने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता /पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।



10. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र ।

11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को अपनी उपस्थिति देवें।


अध्युक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

ICT

pur

pur

